संख्या-17/2016/853/22-2-2015-17(40)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक राय पुत्र श्री रामनाथ राय, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44569/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/30-09-2015 दिनांक 14-10-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अशोक राय पुत्र श्री रामनाथ राय, निवासी-टंडवा, थाना-कोतवाली मुहम्दाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर दिनांक 27-06-1979 को बन्दी अपने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा व तलवार से एक व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया है। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या 215/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 449 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजीपुर द्वारा दिनांक 13-03-1981 को दोषमुक्त किया गया है, जिसके विरूद्ध गवर्नमेन्ट अपील सं0-1392/1981 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.08.2005 द्वारा बन्दी अशोक राय को धारा-302/34 एवं धारा'449 के अन्तर्गत अलग-अलग आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या-1508/2005 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15-04-2014 द्वारा अपील निरस्त कर दिया गया। बन्दी के 06 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की अपील मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, यद्यपि बन्दी की किडनी की बीमारी की आख्या दी गयी है, किन्तु बन्दी की आयु 60 वर्ष और बन्दी द्वारा दिनांक 28-09-2015 तक मात्र 01 वर्ष, 01 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा एवं 01 वर्ष, 03 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। अभियुक्त द्वारा 07 अन्य सहअयुिक्तों के साथ मिलकर गडासा व तलवार से एक व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया है। अत: प्रकरण में सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी अशोक राय पुत्र श्री रामनाथ राय की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अशोक राय (बन्दी संख्या-1350/2014) पुत्र श्री रामनाथ राय, निवासी जनपद-गाजीपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-853/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in